संख्या-10/2016/57 ई-2/तेरह-2016-227/2000

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 01 मार्च,2016

विषय:- मे0 इण्डिया ग्लाईकाल्स लि0 की उत्तराखण्ड में स्थित रासायनिक इकाई को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से 15 लाख कुण्टल शीरा निर्यात की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-118/दस-144ए/शी0नि0/उत्तराखण्ड/15-16, दिनांक 01 जनवरी,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01 जनवरी,2016 द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स इण्डिया ग्लाईकाल्स लि0 को उत्तराखण्ड राज्य में स्थित उसकी रासायनिक इकाई के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से 15.00(पन्द्रह) लाख कुण्टल शीरा निर्यात की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वास्तविक शीरा निर्यात की अनुमति प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से प्रदान की जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in